(11)

अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, दुमका।

रे0मि0 अपील सं0 08/11-12

परशुराम यादव एवं अन्य.....अपीलकर्त्ता।

बनाम

सरकार.....उत्तरकारी।

।।आदेश।।

06-09-2017 प्रस्तुत रे0मि0 वाद सं0 08/11-12 परशुराम यादव एवं अन्य सा0, शितलपुर थाना तालझारी अंचल (जरमुण्डी) बनाम सरकार के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0 318/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 23.02.04 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा शीतलपुर के खाता सं0 3 के अन्तर्गत दाग सं0 411/A रकवा 0-2-0 (दो) कठ्ठा जमीन के साथ जमाबंदी सं0 14 के दाग सं0 95/A में रकवा 0-2-0 (दो) कठ्ठा जमीन को सं0प0 कास्तकारी अधिनियम के धारा 23 के अन्तर्गत आपस में बदलेन की स्वीकृति हेतु अपीलकर्त्ताओं द्वारा निम्न न्यायालय में एस0ई0 वाद सं0 18/99-2000 दायर किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.07.99 को उक्त बदलेन की स्वीकृति दी गई है। तत्पश्चात् इस आदेश के आधार पर अपीलकर्त्ता द्वारा वदलेन जमीन पर बसगढ़ी करने हेतु निम्न न्यायालय में रे0मि0 वाद सं0 318/2000-2001 दायर किया गया। इस पर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार कोर्ट अमीन द्वारा अपीलकर्त्ताओ को बदलेन जमीन पर बसगढ़ी का प्रतिवेदन दिया गया। एवं कोर्ट अमीन द्वारा उक्त जमीन का सीमांकन प्रतिवेदन भी समर्पित किया गया। किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ताओ के आवेदन को यह कहकर अस्वीकृत किया गया कि यह बदलेन आवेदन आदिवासी एवं गैर आदिवासी के बीच है। इसी आदेश के विरूद्ध में यह अपील दायर किया गया है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध कागज एवं प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह मामला अपीलकर्त्ताओं को एस0ई0 वाद सं0 18/1999-2000 में प्राप्त बदलेन जमीन पर बसगढ़ी से संबंधित है जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार कोर्ट अमीन द्वारा अपीलकर्त्ताओ को बसगढ़ी दिया गया एवं वाद में पुनः कोर्ट अमीन द्वारा उसी जमीन का सीमांकन भी कर दिया गया है किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा आवेदन को यह कहकर अस्वीकृत किया गया है कि यह बदलेन आवेदन आदिवासी एवं गैर आदिवासी के बीच है। जबकि अपीलकर्त्ताओ को जमीन बदलेन संबंधी आदेश पूर्व मे ही एस0ई0 वाद

(12)

सं0 18/1999-2000 में आदेश दिनांक 23.07.1999 को पारित किया जा चुका है।

पुनः इस पर निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकरी, दुमका सं0प0 कास्तकारी अधिनियम के धारा 23 के तहत् कार्रवाई करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

06/9/17
अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

DBN-38
16/11/17
N/OK

Digitally signed by RAJIV KUMAR
Date: 2024.02.19 12:39:09 +05:30
Location: 169.254.227.244